

13-12-22

पीठासीन अधिकारी यह देखते हैं कि
कानून व्यवसाय/पेटेन्ट/व्याज
व्यस्त होने के कारण दिनांक 13-12-22
के राजस्व का 4 अंशों में बंटा
पेशी दिनांक 17-1-23
नियत की जाती है।

17¹/₂₃

पत्रावली भाज पेशा दुर्गा
पार्थी वकील उपस्थित/उर्जा
वकील ने अर्थात् निवेदन
आगे नहीं चलाने (खारिज करने)
निवेदन किया एवं पत्रावली न
हस्ताक्षर किये। अतः पत्रावली के
पार्थी का पार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर
की जाकर दाखिल दफ्तर प्री-वकील



उप विभा बल्लार
संयोजक